



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 194-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024 (AGRAHAYANA 15, 1946 SAKA)

### हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग  
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

### अधिसूचना

दिनांक 6 दिसम्बर, 2024

**संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.**— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार), अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए.आर., दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार), अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 में, अनुसूची में:-

- (i) क्रम संख्या 07 के सामने, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

4
“2 दिन

- (iii) क्रम संख्या 11 के सामने, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 16 के सामने, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 21 के सामने, खाना 4 तथा 6 के नीचे, “30 दिन” तथा “मुख्य उद्योग समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष (सम्पदा)” प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमश “15 दिन” तथा “विभागाध्यक्ष (सम्पदा)” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (vi) क्रम संख्या 22 के सामने, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

- (vii) क्रम संख्या 24 के सामने, खाना 4 तथा 6 के नीचे, "30 दिन" तथा "मुख्य उद्योग समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष (सम्पदा)" प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमश "45 दिन" तथा "विभागाध्यक्ष (सम्पदा)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (viii) क्रम संख्या 27 के सामने प्रविष्टियों के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात:-

28	हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	बन्धक विमुक्ति के लिए अनुमति जारी करना	02 दिन	सम्पदा प्रबंधक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
29	हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	प्लॉट का अन्तरण (अन्तिम अन्तरण पत्र (पी.टी.एल.)	45 दिन	सम्पदा प्रबंधक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
30	हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	अन्तिम अन्तरण पत्र (एफ.टी.एल.)/ पुनः- आबंटन पत्र	07 दिन	सम्पदा प्रबंधक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक"।

विवेक जोशी,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

**HARYANA GOVERNMENT**  
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

**Notification**

The 6th December, 2024

**No.7/31/2014-3AR.**— In exercise of the powers conferred under Sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Commission, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department (Administrative Reforms), notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 13th October, 2023, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, General Administration Department (Administrative Reforms), notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 13th October, 2023, in the Schedule;

- (i) against serial number 7, existing entries under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 shall be omitted;
- (ii) against serial number 9, under column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

4
"02 Days"

- (iii) against serial number 11, existing entries under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 shall be omitted;
- (iv) against serial number 16, existing entries under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 shall be omitted;
- (v) against serial number 21, under columns 4 and 6, for entries "30 days" and "CCI-cum-HoD (Estate)" the entries "15 days" and "HoD (Estate)" shall respectively be substituted;
- (vi) against serial number 22, existing entries under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 shall be omitted;
- (vii) against serial number 24, under columns 4 and 6, for entries "30 days" and "CCI-cum-HoD (Estate)" the entries "45 days" and "HoD (Estate)" shall respectively be substituted;

(viii) after serial number 27 and entries thereagainst, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:-

“28	HSI IDC	Issue of Permission for De-Mortgage	02Days	Estate Manager	HoD (Estate)	Managing Director
29	HSI IDC	Transfer of Plot Provisional Transfer Letter (PTL)	45 Days	Estate Manager	HoD (Estate)	Managing Director
30	HSI IDC	Final Transfer Letter (FTL)/ Re-allotment Letter	07 Days	Estate Manager	HoD (Estate)	Managing Director”.

VIVEK JOSHI,  
Chief Secretary to Government, Haryana.